भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3869

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि सिंचाई योजना

3869. सुश्री दिया कुमारीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

वर्षा सिंचित क्षेत्र में सिंचाई जल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा बनायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को वर्ष 2015-16 के दौरान सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला अर्थात् जल स्रोतों, वितरण नेटवर्क और फार्म स्तरीय अनुप्रयोगों में समग्र समाधान करने के लिए 'हर खेत को पानी' के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। पीएमकेएसवाई के घटक निम्नानुसार हैं:

i. **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):** इसका जोर राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित वर्तमान में जारी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर है। इस कार्यक्रम को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया।

ii. **पीएमकेएसवाई-हर खेत को पानी (एचकेकेपी):** स्रोत में वृद्धि, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, अधिक पानी वाले क्षेत्रों से कम पानी वाले क्षेत्रों में पानी ले जाना, मरम्मत, जीर्णोद्धार, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण। इस कार्यक्रम को जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया।

iii. **पीएमकेएसवाई-पनधारा विकास (डब्ल्यूडीसी):** इसका जोर निवल कृषि क्षेत्र व कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों का विकास करने पर है। इसमें वन क्षेत्र उपचार, निकास लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी विकास, वनीकरण, बागवानी, चारागाह विकास, संपत्ति हीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि गतिविधियां शामिल हैं। इसे भू-संसाधन विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया।

iv. **पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी):** सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना। इसे कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया।

******